

## चतुर्थ अध्याय—लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

### 4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन स्थिति को प्रस्तुत करता है।

### 4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली में निहित नियम संख्या 182 निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिये हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

मार्च 2021 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए गए सहायता अनुदान के लिए सभी यूसी (685) और मौजूदा प्रावधान के अनुसार देय, मार्च 2022 तक निस्तारित कर दी गई। आगे, यूसी पर उपरोक्त मौजूदा प्रावधानों पर विचार करते हुए, वर्ष 2021-22 के दौरान लिए गए सहायता अनुदान के लिए यूसी इस वर्ष के लिए देय नहीं थे। इसलिए, 31 मार्च 2022 तक बकाया यूसी की स्थिति शून्य है।


### 4.3 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयकों (अंतिम व्यय के समर्थन में व्हाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देनी है।

31 मार्च 2022, छत्तीसगढ़ शासन के 11 विभागों ने 356 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध ₹186.85 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नहीं किया था। वर्ष 2021-22 तक जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों की विभाग-वार जानकारी **परिशिष्ट-4.1** में दिया गया है। पाँच प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिलों की स्थिति **चार्ट 4.1** में दी गई है।

चार्ट 4.1 : पाँच प्रमुख विभागों से संबंधित लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़ें।

इसके अलावा, उपर्युक्त पांच विभागों में से मुख्यतः ₹107.66 करोड़ रुपये की राशि के डीसीसी बिल (63 डीसीसी बिल) क्रॉप हसबैंडरी से संबंधित थे, जैसा कि चार्ट 4.1 में दिखाया गया है। इन डीसीसी बिलों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दो महीनों के दौरान सभी 63 एसीसी बिल आहरित किए गए थे, जिनमें से केवल एक डीसीसी बिल प्राप्त हुआ था और 62 डीसीसी बिल अभी भी नवंबर 2022 तक लंबित थे।

वर्ष 2021-22 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष-वार जानकारी तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1 : संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब (₹ करोड़ में)

क्रं सं	वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंतः शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	वर्ष 2019-20 तक	288	184.65	277	3,275.53	250	3,258.59	315	201.59
2	2020-21	315	201.59	208	2,947.73	63	2,853.79	460	295.53
3	2021-22	460	295.53	265	2,556.55	369	2,665.23	356	186.85

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़ें।

31 मार्च 2022 की स्थिति में, ₹186.85 करोड़ के 356 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित हैं, जिसमें से 54 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹2.41 करोड़), 59 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.49 करोड़) एवं 199 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹183.13 करोड़) क्रमशः 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 से संबंधित हैं।

निर्धारित समय के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत न किया जाना, न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, अपितु अपव्यय/दुरुपयोग/कदाचार की संभावना को भी बढ़ावा देती है। अतः विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। विस्तृत आकस्मिक देयकों की अप्राप्ति की सीमा तक,

वित्तीय लेखों में दर्शाये गए व्यय को सही या अंतिम नहीं माना जा सकता है।

#### 4.4 लेखाओं के समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य शासन के लेखें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 29 जिला कोषालयों, 53 वन मंडलों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें तथा 156 अन्य संभागों<sup>1</sup> द्वारा दी गयी प्रारंभिक लेखों से संकलित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, मासिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में कोषालयों द्वारा एक से 34 दिन, लोक निर्माण विभाग द्वारा एक से 50 दिन एवं वन विभाग द्वारा एक से 12 दिन तक का विलंब था।

राज्य शासन को इसकी ध्यान से परिवीक्षा करने की आवश्यकता है कि, जितने भी लेखा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकरण हैं, इनके बजट को और भी प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियत समय पर यह लेखायें प्रस्तुत करें।

#### 4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष

शासकीय खातों में उचंत शीर्षों का संचालन उन लेनदेनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी कारण या किसी अन्य कारण से उनके समापक लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जब राशि को उसके समापक लेखा शीर्ष पर ले जाया जाता है, तो इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर दिया जाता है। यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्राप्तियों और भुगतानों को कम करके दिखाया जाता है।

प्रेषण में उन सभी लेन-देनों को शामिल किया जाता है, जो लेखा शीर्षों से समायोजित हैं, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिटों को उसी लेखा वृत्त अथवा अन्य में उसके संबंधित डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों में अलग से बकाया डेबिट एवं क्रेडिट को समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मदों का निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकड़ों की स्थिति लघु शीर्ष वार तालिका 4.2 में दी गयी है।

तालिका 4.2: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

मुख्य शीर्ष 8658-उचंत-लघु शीर्ष	2019-20		2020.21		2021.22	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	67.35	19.50	75.32	15.59	68.32	14.46
निवल	नामे 47.85		नामे 59.73		नामे 53.86	
102-उचंत लेखा (सिविल)	30.81	0.17	29.62	0.17	1.85	1.38
निवल	नामे 30.64		नामे 29.45		नामे 0.47	
109-रिजर्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	0.03	0.68	1.61	0.04	0.63	1.47
निवल	जमा 0.65		नामे 1.57		जमा 0.84	
110-रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	3.57	0.01	13.62	0.01	8.36	0.02
निवल	नामे 3.56		नामे 13.61		नामे 8.34	
112-स्रोत पर कर कटौती	0.00	71.10	0.00	63.14	0.00	84.53

(₹ करोड़ में)

57 भवन एवं सड़क निर्माण संभाग, 62 सिंचाई संभाग (जल संसाधन विभाग), 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग।

निवल	जमा 71.10	नामे 63.14	जमा 84.53
113-भविष्य निधि उचंत	44.35 0.00	20.62 0.00	20.02 0.00
निवल	नामे 44.35	नामे 20.62	नामे 20.02
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00 0.19	0.00 0.27	0.06 0.38
निवल	जमा 0.19	जमा 0.27	जमा 0.31
129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	0.00 84.11	0.00 81.67	0.00 81.67
निवल	जमा 84.11	जमा 81.67	जमा 81.67
मुख्य शीर्ष 8782-नगद प्रेषण			
102-लोक निर्माण प्रेषण	74.83 42.43	74.32 9.13	6,850.00 6,779.51
निवल	नामे 32.40	नामे 65.19	नामे 70.49
103-वन प्रेषण	36.20 5.44	50.44 5.56	1,953.20 1,919.79
निवल	नामे 30.76	नामे 44.88	नामे 33.41

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़ें।

यदि इन उचंत शीर्षों के तहत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को कम करके दर्शाया जाता है। इसके अलावा, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों की गैर-निस्तारण राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की यथार्थता को प्रभावित करती है।

#### 4.6 व्यक्तिगत जमा खाते

विशिष्ट परिस्थितियों में, शासन नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खातों से निधियों का हस्तांतरण सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य के संचित निधि में व्यय के रूप में दर्ज की जाती है। कोषालय संहिता भाग-एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, प्रशासकों का ऐसे खाते वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर बंद करने तथा व्यय नहीं किये गये शेष राशि को वापस संचित निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है ताकि अगले वर्ष यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को पुनः खोला जा सके, हालाँकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

पंचवर्षीय अवधि वर्ष 2017-22 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी निधियों की स्थिति तालिका 4.3 प्रदान करता है।

तालिका 4.3: वर्ष 2017-22 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियों/प्राप्तियों		वर्ष के दौरान संवृतियों/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2017-18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00
2	2018-19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10
3	2019-20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26
4	2020-21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95
5	2021-22	208	1,560.95	02	287.56	71	444.13	139	1,404.38

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संबंधित वर्षों के संकलित आंकड़े

तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 09 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये थे एवं 151 खातों को बंद किया गया। 31 मार्च 2022 तक 139 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,404.38 करोड़ था।

राज्य शासन ने मार्च 2022 के दौरान चार मुख्य शीर्षों से ₹19.82 करोड़ की राशि आहरित की और इसे व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया, जिसका विवरण तालिका 4.4 में दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसे स्थानान्तरण इंगित करते हैं कि ये स्थानान्तरण बजटीय प्रावधान की चूक को रोकने के लिए किए गए थे।

तालिका 4.4: मार्च 2022 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	राशि
1	जिला समाहर्ता, सूरजपुर	2029	4.58
2	निरीक्षक, केंद्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.14
3	संयुक्त निदेशक, पंचायत कल्याण, बिलासपुर	2235	0.09
4	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर	2055	15.00
5	कलेक्टर, भू-अभिलेख, धमतरी	2029	0.01
योग			19.82

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े

व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों ने कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरक्षित शेषों का सत्यापन/मिलान नहीं किया है।

#### 4.6.1 व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत ₹1,404.38 करोड़ के अंतिम शेष में से ₹1,148.87 करोड़ भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि का लाभार्थियों में संवितरण न करने के कारण थे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित असंवितरित निधियों का कोषालय-वार विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन से संबंधित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कोषालय का नाम (31 मार्च 2022 तक खातों की संख्या )	31 मार्च 2020 को जमा राशि	31 मार्च 2021 को जमा राशि	31 मार्च 2022 को जमा राशि
1	बिलासपुर (2)	355.37	293.46	232.13
2	रायपुर (1)	259.89	256.19	256.19
3	रायगढ़ (1)	186.14	189.01	146.80
4	जांजगीर-चांपा (2)	78.73	92.01	42.31
5	अबिकापुर (7)	65.78	66.08	75.06
6	बलरामपुर (2)	51.79	49.57	49.28
7	गरियाबंद (2)	42.07	41.15	10.67
8	कोरबा (2)	41.44	64.93	105.56
9	जगदलपुर (1)	35.90	26.16	27.50
10	राजनांदगाँव (1)	34.74	35.19	33.97
11	महासमुन्द (1)	29.22	25.04	28.93
12	कवर्धा (1)	13.48	9.14	9.92
13	जशपुर (1)	13.40	13.39	12.66
14	कोरिया (1)	12.94	12.67	3.95
15	सुरजपुर (1)	11.21	5.88	14.39
16	कांकेर (1)	10.90	9.09	3.76
17	दुर्ग (1)	6.79	1.71	1.59
18	कोण्डागाँव (1)	6.61	7.11	5.55

19	दंतेवाडा (1)	6.44	6.24	5.18
20	बलोदाबाजार (1)	5.30	3.13	3.13
21	धमतरी (1)	4.81	7.63	4.85
22	मुंगेली (4)	4.54	27.53	17.49
23	बेमेतरा (2)	2.48	2.18	3.97
24	बीजापुर (1)	0.18	0.18	0.18
25	पेंड्रा-मरवाही (1)	—	57.28	53.85
<b>योग (40)</b>		<b>1,280.15</b>	<b>1,301.95</b>	<b>1,148.87</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े

भू-अर्जन अधिकारी एवं एसडीओ, रायपुर से एकत्रित जानकारी से पता चला कि पीडी खाते में भू-अर्जन से संबंधित राशि जमा होने का एक मुख्य कारण भूमि अधिनिर्णय पारित होने की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी संबंधित भूमि मालिक द्वारा राशि का दावा नहीं करना था। इसके अलावा, कोष एवं लेखा निदेशालय ने भी पहले सूचित किया था कि पीडी खाते से भूमि अधिग्रहण से संबंधित धनराशि का वितरण न होने का एक कारण भूमि का अवार्ड पास न करना भी था।

#### 4.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों से असंचालित हैं, उन्हें व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए और शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल 139 व्यक्तिगत जमा खातों में से ₹1.50 करोड़ की कुल शेष राशि वाले छः व्यक्तिगत जमा खाते 31 मार्च 2022 तक तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित रहे। हालांकि इन खातों को बंद करने के लिए संबंधित कोषालयों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

राज्य शासन को पीडी खातों की समीक्षा करनी चाहिए और शेष राशि को संचित निधि में स्थानांतरित करके निष्क्रिय पीडी खातों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

#### 4.7 केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेन-देन के लेखाएँ

केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों के सूची के अंतर्गत निर्धारित है। वर्तमान लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, और राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सड़क एव पुल' के प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा एक समतुल्य राशि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित कर दी जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त प्रक्रिया के विपरीत, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से ₹230.29 करोड़ जारी किए गये जिसमें से केवल ₹125.47 करोड़ राज्य शासन द्वारा लोक लेखे के अंतर्गत '8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में स्थानांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को ₹104.82 करोड़ तक कम बताया गया।

वर्ष 2019-22 के दौरान सार्वजनिक खाते में भारत सरकार से प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा "8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता" के लिए सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित निधि का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: 2019–22 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	राज्य सरकार द्वारा 8449-अन्य जमा-103 को हस्तांतरित की गई निधि	अंतिम शेष (राज्य शासन से हस्तांतरित नहीं की गई राशि)
1	2019-20	14.02	371.61	198.55	187.08
2	2020-21	187.08	234.92	296.54	125.46
3	2021-22	125.46	230.29	125.47	230.28

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े

#### 4.7.1 अधोसंरचना विकास कोष

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और पर्यावरण सुधार परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन जुटाने हेतु भूमि पर उपकर लगाया जाएगा। अधिनियम पुरे छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित है और 27 मई 2005 से लागू है। अधिनियम के अनुसार, अधोसंरचना विकास उपकर उन सभी भूमियों पर लगाया और एकत्र किया जाएगा जिन पर भू-राजस्व या किराया लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र की गई अधोसंरचना विकास उपकर को अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे बुनियादी ढांचा विकास परियोजना पर खर्च किया जाता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में ₹161.63 करोड़ का अधोसंरचना विकास उपकर एकत्र किया और वर्ष 2021-22 के दौरान इतनी ही राशि अधोसंरचना विकास निधि को हस्तांतरित नहीं की गई। ₹161.63 करोड़ की अहस्तांतरित शेष राशि राज्य सरकार के अनुन्मोचित दायित्व में योगदान करती है। इस तरह के अहस्तांतरित शेष के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया। इसके अलावा, विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधोसंरचना विकास निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से निधि के सृजन का उद्देश्य भी विफल हो गया।

#### 4.7.2 पर्यावरण कोष

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण कोष स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को राज्य में पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सम्बंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2020-21 में पर्यावरण उपकर के रूप में ₹161.63 करोड़ एकत्र किए गए थे और उस राशि को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान पर्यावरण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई थी। एकत्रित उपकर को पर्यावरण निधि में अंतरित न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया। इसके अलावा, पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से भी निधि के सृजन का उद्देश्य विफल हो गया।

#### 4.8 राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधि

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सितम्बर 2008 में गठन किया गया। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के



कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा संग्रहित उपकर चेकों/ धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। तथापि चार शासकीय विभागों<sup>2</sup> द्वारा एकत्रित श्रम उपकर को मुख्य शीर्ष-8443-सिविल जमा-108-लोक निर्माण जमा राशियों के अंतर्गत सीधे दर्ज किया गया है। इसके अलावा, चूंकि लघु शीर्ष-लोक निर्माण जमा राशियों के अंतर्गत कोई और उप-शीर्ष नहीं है, कर्मकार कल्याण मण्डल को भुगतान की गई राशि को पृथक करना संभव नहीं है। इस प्रकार, श्रम उपकर के लेखांकन के लिए विशिष्ट नियमों और प्रावधानों के अभाव में श्रम उपकर के संग्रहण और हस्तांतरण के लिए श्रम उपकर को कर्मकार कल्याण मण्डल में स्थानांतरित करने के लिए सरकारी विभागों और निजी एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रक्रियाओं में कोई एकरूपता नहीं है।

#### 4.8.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए उपकर की प्राप्ति और व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 4.7 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.7: श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष
			पंजियन शुल्क एवं अन्य प्राप्तियाँ	मण्डल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
1	2019-20	300.53	9.93	163.62	21.81	495.89	115.09	380.80
2	2020-21	380.80	0.73	172.34	31.39	585.26	108.10	477.16
3	2021-22	477.16	0.13	191.07	17.20	685.56	92.24	593.32

स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय ₹92.24 करोड़ में से बोर्ड द्वारा ₹88.43 करोड़ (95.87 प्रतिशत) कल्याणकारी याजनाओं पर, और ₹3.81 करोड़ (4.13 प्रतिशत) स्थापना शुल्क पर व्यय किया है।

राज्य शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों जैसे कि मातृत्व लाभ, भवनों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार हेतु सहायता, चिकित्सा सहायता, रसोई गैस एवं चूल्हे का वितरण इत्यादि का संचलान किया है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर की गयी व्यय की जानकारी तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

<sup>2</sup> लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।



तालिका 4.8: उपलब्ध निधि से योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	उपलब्ध राशि	संचालित योजना		योजनाओं पर वास्तविक व्यय	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
			संख्या	आवंटन				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरुद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरुद्ध व्यय
1	2018-19	494.10	27	342.51	166.98	19,17,281	9,92,847	51.78	48.75	33.79
2	2019-20	495.89	21	367.32	96.57	20,00,567	3,90,818	19.54	26.29	19.47
3	2020-21	585.26	22	382.68	105.06	21,15,415	1,69,239	8.00	27.45	17.95
4	2021-22	685.56	25	409.70	88.43	21,66,576	3,90,139	18.00	21.58	12.90

स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2021-22 के दौरान मण्डल द्वारा उपलब्ध धन का केवल 12.90 प्रतिशत का उपयोग किया जा सका और पंजीकृत श्रमिकों का केवल 18 प्रतिशत को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित ₹409.70 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले, बोर्ड केवल ₹92.24 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका, जिससे शेष ₹317.46 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गए, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा ₹40.60 करोड़ उपकर एकत्र किए गए और ₹42.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्षों की शेष राशि सहित) बोर्ड को हस्तांतरित किए गए एवं शेष ₹4.28 करोड़ रुपये लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत रखे गए हैं।

इन चार विभागों द्वारा उपकर के कम हस्तांतरण का विवरण तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: श्रम उपकरों का मंडल को विभाग-वार कम हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	कम हस्तांतरण
1	लोक निर्माण विभाग	3.89
2	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0.24
3	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.12
4	ग्रामीण विकास संभाग (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.03
योग		4.28

#### 4.9 लघु शीर्ष -800 में समायोजन


अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष -800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा (प्रकटीकरण) नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

कुल 43 राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज की गई राशि ₹7,427.94 करोड़ (वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की ₹79,652.03 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.33 प्रतिशत) को लघु शीर्ष -800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 49 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज ₹1,137.59 करोड़ (वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की ₹85,514.23 करोड़ की कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 1.33 प्रतिशत) को लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।


प्राप्तियों और व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा, वर्ष 2017-22 के दौरान कुल प्राप्तियों और व्यय के प्रतिशत के रूप में चार्ट 4.2 एवं 4.3 में दी गई है:

चार्ट 4.2: वर्ष 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

चार्ट 4.3: वर्ष 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

इस विषय को राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। पिछले वर्ष (4.80 प्रतिशत) की तुलना में 2021-22 के दौरान इस लघु शीर्ष में वर्गीकृत प्राप्तियों में बड़ी वृद्धि (9.33 प्रतिशत)

हुई है। व्यय पक्ष पर, यह 2020-21 में 1.61 प्रतिशत से घटकर 2021-22 के दौरान कुल व्यय का 1.33 प्रतिशत हो गया। तथ्य यह है कि प्राप्तियों और व्यय का इतना बड़ा अनुपात लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया है, यह गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

#### 4.9.1 लघु शीर्ष – 800 के अंतर्गत बुकिंग –₹50 करोड़ रुपये से अधिक के लिए अन्य प्राप्तियां

लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है। तथापि, संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ मुख्य शीर्ष में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का प्रचालन नियमित रूप में किया गया था और पिछले पांच वर्षों में इन लघु शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त राशि (अर्थात् ₹50 करोड़ रुपये से अधिक) दर्ज की गई थी जैसा कि तालिका 4.10 में दिखाया गया है। तथापि, पिछले पांच वर्षों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत ₹50 करोड़ रुपये से अधिक की नियमित बुकिंग नहीं देखा गया है।

तालिका 4.10: पिछले पांच वर्षों में ₹50 करोड़ से अधिक की राशि की बुकिंग के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन का विवरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	प्राप्ति				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	0029	99.68	97.56	85.60	269.86	335.73
2	0039	874.31	981.67	1,037.89	1,110.10	1,075.84
3	0041	1,071.97	321.84	63.85	190.66	186.58
4	0043	224.56	240.61	253.04	260.13	561.94
5	0853	2,000.98	791.01	1,386.47	545.51	4,879.34

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त आकड़े

प्राप्तियों का इतना बड़ा अनुपात पिछले पांच वर्षों से लगातार लघु शीर्ष 800 के तहत बुक किया गया है, यह गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि यह खातों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

#### 4.9.2 लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रॉयल्टी की बुकिंग

संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार खदानों से प्राप्त रॉयल्टी को मुख्य शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग-लघु शीर्ष 102-खनीज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मुख्य एवं लघु शीर्ष 0853-800 के चालानों के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष 0853-800 के अंतर्गत ₹12,305.38 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्ति के सामने ₹1.02 करोड़ की प्राप्त रॉयल्टी को लघु शीर्ष –102-खनीज रियायत, शुल्क, किराये और रॉयल्टी की, जैसा कि लेखाओं की मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में निर्धारित है, के स्थान पर लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्ति में दर्ज किया गया। विस्तृत जानकारी तालिका 4.11 में दिखाया गया है।

तालिका 4.11: लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज राजस्व प्राप्तियों का विवरण

			(₹ करोड़ में)
क्र.सं	कोषालय/बैंक का नाम	प्रकरणों की संख्या	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज कुल प्राप्तियाँ
1	रायपुर	83	0.37
2	बेमेतरा	01	0.20
3	सूरजपुर	09	0.02
4	बैकुण्ठपुर	13	0.09
5	बिलासपुर	03	0.01
6	बीजापुर	03	0.04
7	कोण्डागाँव	03	0.02
8	रायगढ़	01	0.07
9	कांकेर	01	0.01
10	जांजगीर चापा	01	0.01
11	दांतेवाड़ा	04	0.03
12	बलरामपुर	04	0.01
13	बलौदाबाजार	02	0.11
14	मुंगेली	02	0.03
<b>योग</b>		<b>130</b>	<b>1.02</b>

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) के साथ पठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) कहती है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग को एवं शेष कुल रॉयल्टी राजस्व का 67 प्रतिशत संबंधित पंचायत, जनपद पंचायत को संवितरित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कही हुई प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मुख्य शीर्ष 0853 (गैर अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग) के अंतर्गत लघु शीर्ष 102 (खनीज रियायत शुल्क, किराय और रॉयल्टी) का गलत वर्गीकरण लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों में होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को हुई पर्याप्त राजस्व की हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।


#### 4.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना

वित्तीय नियमों के अनुसार नियंत्रक अधिकारियों के लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियाँ एवं व्यय से वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यह नियंत्रक अधिकारियों को व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण एवं बजटीय आवंटन का कुशल प्रबंधन तथा उनके लेखों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्तियों का 56.02 प्रतिशत तथा संवितरण का 90.12 प्रतिशत मिलान किया गया था, ये आंकड़े वर्ष 2021–22 के लिए प्राप्तियों में 62.93 प्रतिशत तथा संवितरण में 87.06 प्रतिशत है।

तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2019–22 के दौरान नियंत्रक अधिकारियों के द्वारा प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकड़ों के मिलान की स्थिति चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4 : तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2019-22 के दौरान मिलान की स्थिति



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संकलित आंकड़े

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों की संख्या एवं मिलानों से संबंधित जानकारी तालिका 4.12 में दिया गया है ।

तालिका 4.12: प्राप्तियाँ एवं व्ययों के आंकड़ों के मिलान के स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रक अधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान प्रतिशत
<b>प्राप्तियाँ</b>							
2019-20	40	14	14	12	83,717.84	71,783.68	85.74
2020-21	40	04	31	05	84,866.84	47,539.69	56.02
2021-22	40	03	31	06	94,843.22	59,684.84	62.93
<b>व्यय</b>							
2019-20	94	19	39	36	90,794.89	48,667.61	53.60
2020-21	94	61	23	10	87,127.83	78,520.40	90.12
2021-22	94	42	48	04	92,877.69	80,859.21	87.06

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकड़े

आंकड़ों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण साधन है। कोडल प्रावधानों एवं कार्यपालक निर्देशों के उपयोग/पालन में असफलता के कारण ना केवल प्राप्तियाँ एवं व्ययों की गलत वर्गीकरण तथा गलत बुकिंग होती है बल्कि बजटीय प्रक्रिया की उद्देश्य को भी विफल करती है।

#### 4.11 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन के रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोकड़ शेष में ₹24.64 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) का अन्तर था। यह अंतर प्रत्यायित बैंक द्वारा केंद्रीय लेखा अनुभाग,

भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर जिसकी जिम्मेदारी राज्य शासन के रोकड़ शेष की रख-रखाव की है, को गलत जानकारी प्रस्तुत किये जाने के कारण है।

#### 4.12 भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 में सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जो सरकारी लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों के लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु तैयार कर रहा है। मार्च 2020 के अंत तक तीन भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इन मानकों का विवरण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन मानकों का वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण में अनुपालन तालिका 4.13 में किया गया है।

तालिका 4.13: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखांकन मानकों (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों के सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
भा.स.ले.मा-1 सरकार द्वारा प्रत्याभूति (गारंटी)-प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक की आवश्यकता है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में दिये गये अधिकतम प्रत्याभूतियों को परिग्रहितियों, विलोपन, लागू किया, खारिज तथा बकाया के साथ उनके वित्तीय विवरण में प्रकट करें।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने अंतिम लेखों में वर्ष 2021-2022 के दौरान भा.स.ले.मा-1 के निर्धारित प्रारूप में गारंटी से सम्बंधित 13 गारंटी संस्थानों में से लगभग 11 (85 प्रतिशत) के बारे में मार्च 2022 के समाप्ति के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त, खारिज, लागू और बकायों के साथ प्रकट किया।
भा.स.ले.मा-2 सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के निरपेक्ष वर्गीकृत किया जाये।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹2,227.04 करोड़ की सहायता अनुदान राशि का वितरण किया और राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान वितरित सहायता अनुदान से संबंधित जानकारी भा.स. ले.मा-2 के निर्धारित प्रारूप के अनुसार वित्त लेखा के विवरण संख्या 10 और परिशिष्ट संख्या III में दर्शाए अनुसार प्रस्तुत की है।
भा.स.ले.मा-3 सरकार द्वारा बनाए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये लोन एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकरूपीया लेखांकन प्रथा को सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	94 बजट नियंत्रक अधिकारियों में से 60 अर्थात् 64 प्रतिशत ने सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की है। भा.स.ले.मा-3 का अनुपालन न करने से लेखांकन प्रथाओं में अपारदर्शिता होती है।

#### 4.13 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य शासन ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये हैं, जिसमें से केवल चार स्वायत्त निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को न्यासित किया गया है। जून 2022 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण तालिका 4.14 में प्रदर्शित है।

तालिका 4.14: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया

क्र.सं	निकाय/प्राधिकरण का नाम	खाता कब से लंबित है	वित्तीय वर्ष तक लंबित खातों की संख्या
1	राज्य कैम्पा, छत्तीसगढ़ राज्य	2021-22	1
2	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	2009-10	68 <sup>3</sup>
3	छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल	2015-16	6

#### 4.14 हानि तथा गबन आदि के मामले

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 22 और 23 यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पुलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

31 मार्च 2022 की स्थिति में, राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कुल ₹125.58 करोड़ के कुल 2,163 मामले लंबित थे, जो निर्णायक जाँच और निपटारे के लिए लंबित थे। लंबित प्रकरणों का विभागवार तथा श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट-4.2** में दिया गया है। मामलों का वर्ष-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-4.3** में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चोरी और गबन आदि को **तालिका 4.15** में संक्षेपीत किया गया है।

तालिका 4.15 : हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 - 5	316	5.89	चोरी	124	0.54
5 - 10	381	72.33			
10 - 15	334	31.69	सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,978	119.76
15 - 20	234	4.88			
20 - 25	209	4.60	गबन	61	5.28
25 से अधिक	689	6.19			
योग	2,163	125.58	लंबित प्रकरणों का योग	2,163	125.58

स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण

कुल 2,163 प्रकरण में से वन विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग में क्रमशः 562 तथा 39 प्रकरण, जो 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 2,163 प्रकरणों में से 338 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि छः मामलों में, विभिन्न विभागों द्वारा 2021-22 के दौरान ₹1.91 लाख की वसूली की गई, जैसा कि **परिशिष्ट-4.4** में वर्णित है।

#### 4.15 ऑफ बजट उधार

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/अन्य निकाय सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। ऐसे ऋणों की अदायगी अपने बजटीय

<sup>3</sup> जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली के खातों को इसकी स्थापना 2009-10 के बाद से ही प्राप्त नहीं किया गया था।



संसाधनों से राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। इस तरह के उधार सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेंगे। इस तरह की देनदारियों को बजट में बताए बिना बनाना, पारदर्शिता और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी दोनों पर सवाल उठाता है। इस तरह के ऑफ-बजट उधार को बजट दस्तावेजों में प्रकटीकरण विवरण में नहीं लिया जाता है, न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑफ बजट के इस तरह की पांच देनदारी उदाहरणों पर निचे चर्चा की गई है:

- क) छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी अधिकारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केनरा बैंक से 800 करोड़ रुपये और इलाहाबाद बैंक से 728 प्लैट खरीदने के लिए 2017-18 में ₹195.00 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को गारंटी जारी की। 31 मार्च 2022 तक कुल दिए गए गारंटी राशि के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने क्रमशः ₹800 एवं ₹195 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार द्वारा उक्त ऋणों पर ₹333.23 करोड़ का ब्याज एवं मूलधन बजट के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।
- ख) इसी प्रकार, शासन ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीएचसीएल) को जून/जुलाई 2017 (2027 तक वैध) में पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवासीय घरों के निर्माण के लिए दो वित्तीय संस्थानों अर्थात् इलाहाबाद बैंक (₹400 करोड़ रुपये) और केनरा बैंक (₹400 करोड़ रुपये) से ₹800 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए भी गारंटी जारी की है। सीपीएचसीएल ने मार्च 2022 तक ₹644.54 करोड़ रुपये का कुल ऋण लिया है, जबकि अधिकतम गारंटी राशि ₹800 करोड़ रुपये है। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹201.19 करोड़ का ब्याज चुकाया है।
- ग) इसके अलावा, सरकार ने फरवरी 2018 (2022 तक वैध) में "प्रधान मंत्री आवास योजना" (पीएमएवाई-शहरी) में राज्य के हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) को गारंटी जारी की। जिसमें से, सूडा ने 31 मार्च 2022 तक ₹825 करोड़ रुपये का ऋण लिया। राज्य शासन ने बजट से उपरोक्त ऋण के ब्याज और मूलधन के रूप में ₹201.57 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया है।
- घ) छत्तीसगढ़ शासन ने दिसंबर 2020 में बैंकों या वित्तीय संस्थानों से छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीजीआरआईडीसीएल) को ₹5,225 करोड़ रुपये (12 सड़कों के निर्माण के लिए ₹1,225 करोड़ रुपये और 741 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़ रुपये) का ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी जारी की। जिसमें से सीजीआरआईडीसीएल ने 31 मार्च 2022 तक ₹126.39 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने मूलधन और ब्याज राशि के पुनर्भुगतान के लिए सीजीआरआईडीसीएल को कोई राशि जारी नहीं की है। तथापि, कंपनी ने बैंक को ₹0.33 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
- ङ) छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लागू करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (जनवरी 2018) को ₹3,427.28 करोड़ रुपये (2034-35 तक वैध) की गारंटी जारी की। उपर्युक्त गारंटी की तुलना में निगम ने कुल ₹1,792.44 करोड़ रुपये (केनरा बैंक से ₹1,000 करोड़ रुपये और नाबार्ड से ₹792.44 करोड़ रुपये) का ऋण लिया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए ₹375.27 करोड़ रुपये जारी किए हैं।


उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के व्यय के वित्तपोषण के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से जुटाई गई उधार राशि के उपयोग से न केवल राजस्व/पूँजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि उधार ऋण की गणना राज्य

सरकार के खातों में से बाहर रहे। चालू व्यय का भार आने वाली पीढ़ियों पर बाद के वर्षों में बजटीय सहायता के माध्यम से ऋण की सेवा की सीमा तक स्थानांतरित हो जाएगा। 31 मार्च 2022 तक बकाया ₹99,172.89 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार की कुल शुद्ध बजट देनदारी ₹3,872.80 करोड़ (कुल बजटीय देनदारियों का 3.91 प्रतिशत) है। इस प्रकार, राज्य की कुल देयता ₹1,03,045.69 करोड़ रुपये थी। राज्य शासन के वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बजट दस्तावेजों में किसी भी ऑफ बजट उधारी का खुलासा नहीं किया गया है।

#### 4.16 सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹14,308.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक ऐसी राशि के हस्तांतरण की प्रवृत्ति चार्ट 4.5 में दर्शायी गई है।

चार्ट 4.5: 2018-19 से 2021-22 तक राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे दिए गये अनुदान के हस्तांतरण का रुझान



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकड़े

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में ₹1,770.13 करोड़ (14.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

#### 4.17 एकल नोडल खातें

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए भारत सरकार ने निर्देश (जुलाई 2021) जारी किए कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करेगी। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा सरकारी कामकाज करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता (एसएनए) खोलेगी। एकत्र की गई जानकारी से पता चला कि 20 विभागों के तहत 114 योजनाएं थीं, जो एकल नोडल खातों का रखरखाव कर रही थीं।

आठ विभागों से प्राप्त एसएनए के संबंध में सूचना तालिका 4.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.16: एकल नोडल खाते के परिचालन की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	31 मार्च 2022 को शेष राशि	एसएनए खोलने की तिथि
1	समाज कल्याण	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	—	10.08.2018
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	—	
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन	—	
		राष्ट्रीय परिवार लाभ	—	
2	मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन का कार्यालय	जल जीवन मिशन	258.75	29.11.2021
3	मत्स्य विभाग, छत्तीसगढ़	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	—	03.08.2021
4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	145.11	23.09.2021
		राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	0.07	30.12.2021
		पीएम अभिम, छत्तीसगढ़	18.76	24.08.2021
5	कृषि निदेशालय	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार)	7.35	22.11.2021
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	14.20	नवम्बर, 2021
		कृषि विस्तार पर सबमिशन (आत्मा)	—	06.08.2021
		कृषि यंत्रीकरण मिशन सब्सिडी	39.75	10.02.2022
		परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	1.19	06.08.2021
		चावल परती क्षेत्र (टीआरएफए) को लक्षित करना	—	22.11.2021
		पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)	0.46	22.11.2021
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और आयलपाम)	0.64	22.11.2021
		बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर प्रस्तुतीकरण	—	जून, 2021
		एनएमएसए-मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	0.54	22.12.2021
भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धती	22.54	20.12.2021		
6	उद्योग निदेशालय	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का प्रधानमंत्री औपचारिकरण	9.73	11.08.2020
7	आयुष निदेशालय	राष्ट्रीय आयुष मिशन	24.30	12.08.2021
8	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	पोषण अभियान संक्षम-2 (5354)	47.48	20.07.2021
		स्वाधार गृह (7754)	0.54	30.07.2021
		उज्ज्वला परियोजना (7815)	0.10	30.07.2021
		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (7884)	—	30.07.2021
		मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं)	55.72	26.07.2021
		आईसीडीएस पर्यवेक्षण सक्षम -2	2.47	20.07.2021
		आईसीडीएस आगनवाड़ी सर्विसेज (9044)	159.49	20.07.2021
		आईसीडीएस पोषण सक्षम -2 (9050)	1.19	20.07.2021
एडोल्सेंट गर्ल्स सक्षम -2 (7361)	—	20.07.2021		

स्रोत: राज्य शासन के विभागों से प्राप्त जानकारी

#### 4.18 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008-09 से राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि, छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अभी तक (सितम्बर 2022) राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर परिचर्चा नहीं किया।

#### 4.19 निष्कर्ष

विशिष्ट विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित निधियों के लिए विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक बिलों को जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा खातों को जमा न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियां' (₹7,427.94 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹1,137.59 करोड़) के संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के आंकड़ों के साथ न करना सरकार के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कमजोर प्रदर्शन और खातों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उठाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा अपने आदेश पर प्राप्त ऋणों के संबंध में अपने ऑफ-बजट उधार का बजट में खुलासा नहीं किया है।

#### 4.20 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है कि विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को डीसीसी बिलों को प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।
- ii. खातों को प्रस्तुत करने वाली सभी ईकाईयों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण लेखें एवं छुटी हुई/अपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि उच्चतम एवं प्रेषण लेन देनों की समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।
- iii. राज्य शासन को सर्वोपयोगी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार कर विशिष्ट समय सीमा बनाना चाहिए ताकि लेखा पुस्तकों में लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु सही लेखा शिर्षों की पहचान हो सके।
- iv. राज्य शासन को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी सभी देनदारियों एवं बजट के बाहर ली गई उधारियों को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सही वित्तीय अवस्था का अभिमूल्यन हो सके।
- v. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है एवं शासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का निर्धारित अंतरालों पर मिलान करें जिससे सरकारी लेन-देनों का सटीक एवं पारदर्शी लेखांकन हो सके।